[illegible]

... को पेश हो

28-11-19	वकुलाए कार्यक्रमों उपस्थित वास्ते बहस प्रा० पत्र वकील प्रार्थी ने अवसर चाहा वास्ते बहस आदेश पत्रावली 12-12-19 को पेश हो
12-12-19	वकुलाए कार्यक्रम उपस्थित बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA पर बहस उभयपक्ष सुनी गई वास्ते ~~बहस~~ आदेश प्रार्थना पत्र पत्रावली 26-12-19 को पेश हो
26-12-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश अन्तर्गत धारा 212 RTA सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 71 / 2015

पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक : 08.07.2015

जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. प्रेम शंकर पारीक आयु 67 वर्ष आत्मज श्री सुवालाल जी जाति पारीक ब्राहम्मण निवासी नयागांव तहसील इन्द्रगढ हाल निवास वार्ड नं0 14 सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. श्रीमती शोभा देवी आयु 52 वर्ष बेवा श्री गिरिश कुमार जाति ब्राहम्मण निवासी सरकार नगर मूंगली रोड चन्द्रपुर तहसील व जिला चन्द्रपुर महाराष्ट्र
2. कुलदीप आयु 30 वर्ष आत्मज श्री गिरिश कुमार जाति ब्राहम्मण निवासी सरकार नगर मूंगली रोड चन्द्रपुर तहसील व जिला चन्द्रपुर महाराष्ट्र
3. श्रीमती मीनू आयु 27 वर्ष पुत्री गिरिश कुमार जाति ब्राहम्मण निवासी सरकार नगर मूंगली रोड चन्द्रपुर तहसील व जिला चन्द्रपुर महाराष्ट्र
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसील दार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः — श्री बालालाल बीडा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांकः — 26.12.2019

प्रार्थी की ओर से प्रा. पत्र अन्तर्गत 212 आर टी एक्ट अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि प्राथी के खाते एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.स. 172/2 रकबा 2.40 हैक्टर वाके ग्राम सुनारी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित है जिसके पुराने खसरा न. 76 है । ख.स. 76 मे से 15 बीघा कृषि भूमि दिनांक 12.12.1974 को प्रार्थी के नाम आवंटन की जाकर राजस्व रिकार्ड मे गेरखातेदारी के रूप मे दर्ज की गई। आवंटन के पश्चात से ही प्रार्थी का कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम आवंटन की गयी कृषि भूमि की चतुर्थ सीमा प्रा. पत्र की चरण स. 4 मे वर्णित अनुसार ख.स. 172/1 रकबा 1.60 हैक्टर पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर ख.स. 72/1 का तरमीम नक्शा पूर्व से पश्चिम बना लिया गया। हल्का पटवारी दौलतपुरा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियो से मिलकर गलत तरमीम करवाकर के ख.स. 72/1 की कृषि भूमि को रहन बय करने पर आमदा है और प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा करने की धमकी देते है अन्त मे प्रार्थना की गयी की प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्र्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1 लगायत 3 की और से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया की प्रार्थी की ओर से खसरा न. 172/2 रकबा 2.40 हैक्टर कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित चतुर्थ सीमानुसार तरमीम करवाने बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र पेश किया गया है लेकिन प्रार्थी द्वारा धारा 88 आर टी एक्ट के तहत कोई अनुतोष नही चाहा गया है इस कारण खातेदारी घोषणा के अभाव मे प्रार्थी का दावा कानूनन पोषनीय नही है तथा धारा 136 एल आर. एक्ट के तहत नक्शे मे दुरूस्ती बाबत कोई याचना नही की गयी। स. न. 172/1 रकबा 1.60 हैक्टर का प्रार्थी खातेदार कृषक नही है। इस कारण प्रार्थी को धारा 188 आर. टी. एक्ट के तहत दावा पेश करने का कोई अधिकार नही है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को नक्शे मे तरमीम करने का कोई अधिकार नही है। इस आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया की ख.न. 172/1 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम सुनारी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित है। प्रार्थी अप्रार्थीगण का रिस्तेदार है। प्रार्थी सुमेरगंजमंडी मे निवास करता है और अप्रार्थीगण बाहर रहते है। अप्रार्थीगण का बाहर रहने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। इसी उदेश्य बाबत प्रार्थी जून 2017 मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। अन्त मे प्रार्थना की गयी की अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

प्रार्थी ने काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया गया कि ख. न. 172 की 25 बीघा कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा वर्षो से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का खसरा न. 172/1 रकबा 1.60 हैक्टर पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है बल्कि प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और अन्त मे प्रार्थना की गयी की अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बह स मे तर्क दिया की प्रार्थी की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित चतुर्थ सीमा मे स्थित है जिसके ख.न. 172/2 है और प्रार्थी का 40 वर्ष पूर्व से ही कब्जा काश्त है। ख.न. 172/1 की भूमि अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 के नाम गेरखातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारीयो से मिलकर के ख.न. 172/1 की तरमीम नक्शा पूर्व से पश्चिम बना दिया गया। ख. न. 172/1 पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है बल्कि ख.न. 172/1 और ख.न. 172/2 पर प्रार्थी का ही

उपखण्ड अधिकारी
जिला बून्दी

कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की ओर से पूर्व न्यायिक दृष्टांत RL.W 2006(1) Page 332, RL.W 212(1) Page 404, 2012(1) RJ. Page 532 H.C., 2019 DNJ (S.C.) Page 244, 2004 DNJ(S.C) Page 263, 2014(2) RLW Page 1453 S.C अपने समर्थन में पेश किए गए। अन्त मे प्रार्थना की गई की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्राथी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा ख.न. 172/1 के सम्बन्ध मे अधिकार घोषणा का दावा पेश नही किया गया है और न ही अपना खातेदारी अधिकार बताते हुए कोई अभिबचन नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा ख.न. 172 की 25 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध मे लगान व खसरा गिरदावरी पेश नही की गई। प्रार्थी खसरा न. 172/1 का खातेदार कृषक नही है और न ही कब्जा काश्त है। इस कारण धारा 188 के तहत प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण खसरा न. 172/1 के खातेदार कृषक है लेकिन प्रार्थी उनके बाहर रहने का फायदा उठाकर कब्जा करने पर आमादा है। ख.न. 172 की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट आधार बनाकर अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज नही किया जा सकता। अप्रार्थीगण की ओर से पूर्व न्यायिक दृष्टांत राज0 भू राजस्व (लेण्ड रेवेन्यू) अधि 1956 की धारा 136, राज0 लेण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्डस) नियम 24, 60, 67, RLW 2014 (1) RT Page 42, RRD 2012 Page 42 पेश किए गए।

हमारे द्वारा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान तथा पत्रावली का ध्यानपूवर्क अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा न. 172/2 रकबा 2.40 हैक्टर के संबन्ध मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के बाबत पेश किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जबाव पत्र मे ख.न. 172/2 पर इनका कब्जा काश्त होने बाबत कोई कथन नही किय गए। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे जो चतुर्थ सीमा खसरा न. 172/2 वर्णित की गई है जिसपर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने का तथ्य उभय पक्षो की साक्ष्यो के उपरान्त तय किया जा सकता है। ख.न. 172/1 पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली मे पेश नही किया गया है। पटवारी हल्का दौलतपुरा द्वारा तैयार मोका रिपोर्ट मे भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना नही पाया जाता है। अतः मूलवाद के निर्णय तक ख.न. 172/1 की मौका स्थिती के संबन्ध मे यथास्थिती किया जाना हम उचित समझते है। न्यायालय मतानुसार अप्रार्थीगण का खसरा न. 172/1 की आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही होना पाया जाता है। कब्जे के अभाव मे अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निर्णय तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 212 आर टी एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी